

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश  
सतपुड़ा भवन भोपाल

क्रमांक //185/847/आउशि/शा-1/09

भोपाल, दिनांक 29-10-09

प्रति,


अतिरिक्त संचालक,  
समस्त क्षेत्रीय कार्यालय, उच्च शिक्षा,  
मध्य प्रदेश ।

विषय:- मध्य प्रदेश के स्थापना दिनांक 01 नवम्बर 2009 को " मध्य प्रदेश दिवस " एवं 01 से नवम्बर 2009 को "मध्य प्रदेश सप्ताह" के आयोजन के संबंध में ।

संदर्भ:- म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 5-12/2009/1/4, दिनांक 24.10.09

\*\*\*

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर लेख है कि पत्र में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही कर की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करावें ।

  
विशेष कर्तव्यस्थय अधिकारी(ए)  
उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश

आयुक्त, उच्च न्यायालय  
 मध्य प्रदेश  
 आवक क्रमांक 3734  
 दिनांक 27-10-09

कृपा क्रमांक 847/राज्य/जाडवि/2009  
 दिनांक 27-10-09

By Hand  
 27-10-09

तत्काल

मध्यप्रदेश शासन  
 सामान्य प्रशासन विभाग  
 मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 5-12/2009/1/4,

भोपाल, दिनांक 24.10.2009

प्रति,

1. शासन के समस्त विभाग
2. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल ग्वालियर
3. समस्त विभागाध्यक्ष
4. समस्त संभागीय आयुक्त
5. समस्त जिलाध्यक्ष
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश

विषय:- मध्यप्रदेश के स्थापना दिवस 01 नवम्बर, 2009 को "मध्यप्रदेश दिवस" एवं 01 से 07 नवम्बर, 2009 को "मध्यप्रदेश सप्ताह" के आयोजन के संबंध में।

राज्य शासन ने मध्यप्रदेश के स्थापना दिवस 01 नवम्बर 2009 को मध्यप्रदेश दिवस के रूप में आयोजित करने का निर्णय लिया है। मध्यप्रदेश दिवस एवं सप्ताह के दौरान आयोजित किये जानेवाले कार्यक्रमों की रूपरेखा निम्नानुसार होगी-

अ. 01 नवम्बर 09 के कार्यक्रम

1. राज्य स्तर

राज्य स्तरीय कार्यक्रम भोपाल में आयोजित किया जायेगा जिसके संबंध में पृथक से निर्देश जारी किये गये हैं।

2. जिला स्तर

2.1 जिला स्तर (भोपाल को छोड़कर) पर आयोजित होनेवाले कार्यक्रमों में जिला स्तर पर मुख्य समारोह का आयोजन किया जाए। ध्वजारोहण, राष्ट्रगान, संदेश वाचन तथा संकल्प लेने का कार्यक्रम प्रातः 10.00 बजे आयोजित किया जायेगा। जिला कलेक्टर, समस्त स्तरों पर होने वाले कार्यक्रमों के आयोजन के लिए आवश्यक समन्वय करेंगे।

2.2 इसमें जिले के जन-प्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों, उद्योगपतियों, व्यवसायियों, समाजसेवियों, धर्मगुरुओं, स्वयंसेवी संस्थाओं, हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी विद्यालयों एवं महाविद्यालयीन छात्र/छात्राओं, शासकीय अधिकारी/कर्मचारियों, जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, मीसाबंदियों एवं शहीद सैनिकों के परिवारों को आमंत्रित किया जाए। सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

2.3 कार्यक्रम के प्रारंभ में मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। तत्पश्चात् राष्ट्रगान होगा। इसके बाद मुख्य अतिथि द्वारा माननीय मुख्यमंत्रीजी के संदेश का वाचन किया जाएगा तथा उपस्थित जनसमूह को प्रदेश के विकास एवं समृद्धि के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा देने का संकल्प दिलाया जायेगा। संकल्प का प्रारूप पृथक से प्रेषित किया जाएगा।

2.4 समारोह की गरिमा के अनुरूप स्थानीय स्तर के आयोजन भी कार्यक्रम में जोड़े जा सकते हैं। जिला, विकासखण्ड, नगरपालिका एवं नगर पंचायत स्तर पर आयोजित होनेवाले कार्यक्रम का प्रस्तावित पल प्रतिपल कार्यक्रम परिशिष्ट-एक पर संलग्न है।

2.5 उपरोक्त कार्यक्रम के पश्चात निम्नलिखित कार्यों में से कम से कम एक कार्य को जनभागीदारी के साथ प्रारंभ किया जायेगा—

1. जल संरक्षण(पानी बचाओ कार्यक्रम)
2. हरियाली महोत्सव/वृक्षारोपण
3. ग्राम में स्वच्छता एवं साफ-सफाई कार्य
4. ऊर्जा संरक्षण एवं बिजली का अपव्यय रोकना
5. नशामुक्ति कार्यक्रम
6. छात्रावासों/विद्यालयों/शासकीय भवनों की साफ सफाई ।

2.6 उपरोक्त सूची सांकेतिक है। श्रमदान अथवा जनभागीदारी आधारित अन्य कार्य भी किये जा सकते हैं।

2.7 जिला मुख्यालय पर प्रदेश एवं जिला स्तर पर विकास कार्यों एवं उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी आयोजित की जायेगी। जनसंपर्क विभाग प्रदर्शनी आयोजन में जिला कलेक्टरों से आवश्यक समन्वय करेगा।

2.8 जिला मुख्यालय पर स्थित प्रमुख शासकीय भवनों पर 01 नवम्बर की रात को प्रकाश की व्यवस्था की जाये ।

### 3/- विकासखण्ड स्तर—

प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर आयोजित होनेवाले कार्यक्रमों का स्वरूप भी जिला स्तर के कार्यक्रम के अनुरूप होगा। विकासखण्ड स्तर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उस विकासखण्ड मुख्यालय के माननीय विधायक होंगे। यदि माननीय विधायक के क्षेत्र में दो विकासखण्ड मुख्यालय हैं तो वे किसी एक का चयन कर सकेंगे। जिला कलेक्टर माननीय विधायकगण से आवश्यक समन्वय करेंगे। ऐसे विकासखण्ड जहां माननीय विधायक उपलब्ध नहीं हो पाए, वहां संबंधित जनपद अध्यक्ष मुख्य अतिथि होंगे।

### 4/- नगरपालिका/नगर पंचायत स्तर —

विकासखण्ड मुख्यालय पर स्थित नगरपालिका/नगर पंचायत में कोई पृथक से कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा। विकासखण्ड मुख्यालय से भिन्न स्थान पर स्थित नगरपालिका/नगरपंचायत के क्षेत्र में भी परिशिष्ट— एक अनुसार कार्यक्रम आयोजित होगा जिसके मुख्य अतिथि संबंधित स्थानीय निकाय के अध्यक्ष होंगे।

### 5/- ग्राम पंचायत स्तर—

ग्राम पंचायत स्तर पर प्रभात फेरी निकाली जायेगी तथा उपरोक्तानुसार कार्यक्रम आयोजित होगा जिसकी अध्यक्षता संबंधित सरपंच करेंगे।

विकासखण्ड नगरपालिका, नगर पंचायत तथा ग्राम पंचायत स्तर पर भी औपचारिक कार्यक्रम के पश्चात उपरोक्त पैरा-2.5 में वर्णित कार्यों में से स्थानीय स्तर पर चयनित कार्य जनभागीदारी के साथ प्रारंभ किया जायेगा। जिला कलेक्टर प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यक्रम के आयोजन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करे।

### (ब) मध्यप्रदेश सप्ताह (01 से 07 नवम्बर, 09) के कार्यक्रम—

1. राज्य शासन द्वारा जन सहभागिता पर आधारित विकास को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश सप्ताह का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। इस सप्ताह में जल संरक्षण(पानी बचाओ कार्यक्रम) हरियाली महोत्सव/वृक्षारोपण, स्वच्छता एवं साफ-सफाई कार्य, ऊर्जा संरक्षण एवं बिजली का अपव्यय रोकना, नशामुक्ति कार्यक्रम जैसे जनसहयोग आधारित कार्यों को एक निश्चित कार्य योजना तैयार कर पूर्ण किया जावेगा।

2. जिला मुख्यालय पर प्रदेश एवं जिले के विकास कार्यों एवं उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी 1 से 7 नवम्बर तक जन-सामान्य के अवलोकन हेतु खुली रहेगी।

3. उपरोक्त कार्यक्रम के अतिरिक्त जिला स्तर पर मध्यप्रदेश सप्ताह में निम्नानुसार प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए --

3.1	प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय स्तर	चित्रकला प्रतियोगिता
3.2	हाई स्कूल, हायर सेकण्डरी एवं महाविद्यालय स्तर	निबंध/वाद विवाद प्रतियोगिता

उक्त चित्रकला तथा निबंध प्रतियोगिता का आयोजन यथासंभव संबंधित संभाग के समस्त जिलों के लिए निम्न तालिका में अंकित थीम पर किया जाए।

स.क्र.	संभाग	थीम
1.	उज्जैन	शिक्षा और आध्यात्म की भूमिका
2.	इंदौर	औद्योगिक निवेश - संभावनाएँ एवं रणनीति
3.	ग्वालियर एवं चम्बल	सबके लिए स्वास्थ्य - संभावनाएँ एवं रणनीति
4.	रीवा एवं शहडोल	अधोसंरचना विकास - संभावनाएँ एवं अपेक्षाएँ
5.	भोपाल एवं नर्मदापुरम	कला एवं संस्कृति
6.	सागर	महिला सशक्तिकरण
7.	जबलपुर	शिक्षा, विधि और समाज कल्याण

उक्त प्रतियोगिताओं के प्रमाण पत्र एवं पारितोषिक इसी सप्ताह में वितरित किए जाएँ।

4. जिले में पूरे सप्ताह मध्यप्रदेश के विकास पर केन्द्रित नुक्कड़ नाटक एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा बौद्धिक परिचर्चाओं का आयोजन किया जा सकेगा।

5. जिला कलेक्टर कार्यक्रम से संबंधित की जाने वाली समस्त तैयारियों की जानकारी से जिले के माननीय प्रभारी मंत्रीजी को अवगत करायेंगे।



(सुदेश कुमार)

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग


भोपाल, दिनांक 24.10.2009

पृष्ठा 0 क्रमांक एफ 5-12/2009/1/4,

प्रतिलिपि :-

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल।
3. सचिव, अल्पसंख्यक/राज्य निर्वाचन/मानव अधिकार/राज्य सूचना आयोग, भोपाल।
4. सचिव, लोकायुक्त, म0प्र0 भोपाल।
5. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, म0प्र0 भोपाल।
6. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल।
7. विशेष सहायक/निज सचिव, मान0 मंत्री/राज्यमंत्री, म0प्र0 भोपाल।
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म0प्र0 भोपाल।

9. अध्यक्ष, व्यवसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल।
10. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, म0प्र0 उच्च न्यायालय, जबलपुर, खंडपीठ इंदौर एवं ग्वालियर।
11. महालेखाकार, म0प्र0 ग्वालियर।
12. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, म0प्र0 भोपाल।
13. मुख्य सचिव के अपर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।



प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

## परिशिष्ट— एक

### 01 नवम्बर 2009 मध्यप्रदेश दिवस समारोह का प्रस्तावित पल प्रतिपल कार्यक्रम

10.00 प्रातः	मुख्य अतिथि का आगमन
10.05	राष्ट्रीय ध्वज आरोहण एवं राष्ट्रगान
10.10	संदेश वाचन
10.25	संकल्प
10.30 से 10.55	स्थानीय स्तर पर चयनित आयोजन
10.55 से 11.00	वंदे मातरम एवं कार्यक्रम समापन